तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
28/10/21	पत्रावली अपीलांट ने जरिये अभिभाषक श्री हेमराज गुप्ता वकालत नामा पेश कर प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण की सुनवाई कैम्प कोर्ट टोंक के स्थान पर मुख्यालय अजमेर में किए जाने एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण विड्रो किये जाने बाबत पेश हुई। अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रकरण कोर्ट कैम्प में नियत होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.11.2021 की नियत है। उनवानी प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, जिस हेतु प्रकरण की सुनवाई शीघ्र किये जाने हेतु प्रकरण को कैम्प टोंक के स्थान पर मुख्यालय पर नियत किया जाना आवश्यक, न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रकरण का निस्तारण जरिये राजीनामा किया जाना है ऐसी स्थिति में प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होकर शीघ्र सुनवाई किया जाना आवश्यक है। यदि प्रकरण में शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो पक्षकारों को असुविधा होगी। अपीलांट अभिभाषक ने आगे निवेदन किया कि अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है इसलिए अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। राजीनामा के मध्यनजर अपील को विड्रो किया जाना न्यायहित में आवश्यक न्यायोचित एवं न्यायसंगत है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद का अंतिम निस्तारण हो सके। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर उक्त अपील को विड्रो फरमाई जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरण की सुनवाई कैम्प टोंक के स्थान मुख्यालय पर की गई। प्रार्थी/अपीलांट की अपील विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। ([illegible] सिंह राठौड) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर	28-10-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner